न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :31/2018

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. फुलीदेवी पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दलबीर बैनीवाल **: वादीगण**
वकील श्री राममूर्ति ताखर **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 20.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 जोगीवाला के वर्तमान खाता संख्या 17/15 के मु.न. 37 के किला नं. 3 ता 8, 15 की 1.7710 हैक्टर नहरी 1.6960 गैर मुमकिन खाला 0.0750 हैक्टर व मु.न. 38 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 नहरी 0.7340 गैर मुमकिन खाला 0.0250, कुल 2.5300 हैक्टर नहरी 2.4300 हैक्टर, गैर मुमकिन खाला 0.1000 हैक्टर नहरी खातेदारी प्रतिवादी चन्दुराम वल्द नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित जमाबंदी हाल वादभूमि संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि वादीगण के दादा नन्दराम की खातेदारी हुआ करती थी। नन्दराम के देहान्त पर जो वादभूमि प्रतिवादी चन्दूराम के नाम दर्ज हुई है, वह वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दूराम, फुलीदेवी व राजबाला को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी चन्दूराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दूराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा वादभूमि में प्रतिवादी फुलीदेवी व राजबाला ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दूराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी चन्दूराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि चक 1 जोगीवाला के वर्तमान खाता संख्या 17/15 के मु.न. 37 के किला नं. 3 ता 8, 15 की 1.7710 हैक्टर नहरी 1.6960 गैर मुमकिन खाला 0.0750 हैक्टर व मु.न. 38 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 नहरी 0.7340 गैर मुमकिन खाला 0.0250, कुल 2.5300 हैक्टर नहरी 2.4300 हैक्टर, गैर मुमकिन खाला 0.1000 हैक्टर नहरी खातेदारी जो प्रतिवादी चन्दुराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज है, उसके वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दूराम वल्द नन्दराम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा वादभूमि में प्रतिवादी फुलीदेवी व राजबाला का कोई हक हिस्सा नही है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदानुसार दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र में वर्णित वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के कारण राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है व स्टेट के खिलाफ अन्य कोई अनुतोष नही चाहा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने एवं मुताबिक पारिवारिक सैटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कहा तो वह ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं. 4 स्टेट ने अपना जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का राजीनामा पेश होने के बाद पत्रावली में साक्ष्यवादी में वादी पीडब्ल्यु 1 भजनलाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2054 खाता संख्या 15/18, प्रदर्श 1, चक 1 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2029–38 खाता संख्या 48 प्रदर्श 2, खतौनी दरिमियानी रौही जनाणा सम्वत 1999 खाता संख्या 33 प्रदर्श 3, खसरा खतौनी जनाणा सम्वत 1984 खाता संख्या 33/50 प्रदर्श 4, असल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जनाणा प्रदर्श 5, शपथ पत्र वारिस प्रमाण पत्र बाबत प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये तथा दस्तावेजात में टीकु पुत्र जीतराम का ग्राम पंचायत जनाणा द्वारा जारी असल वारिस प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित जमाबंदी चक 1 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2074–77 खाता संख्या 17/15 प्रस्तुत की गयी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 1 जोगीवाला के वर्तमान खाता संख्या 17/15 के मु.न. 37 के किला नं. 3 ता 8, 15 की 1.7710 हैक्टर नहरी 1.6960 गैर मुमकिन खाला 0.0750 हैक्टर व मु.न. 38 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 नहरी 0.7340 गैर मुमकिन खाला 0.0250, कुल 2.5300 हैक्टर नहरी 2.4300 हैक्टर, गैर मुमकिन खाला 0.1000 हैक्टर नहरी खातेदारी प्रतिवादी चन्दुराम वल्द नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज में वादीगण एवं प्रतिवादी चन्दूराम बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 जोगीवाला के वर्तमान खाता संख्या 17/15 के मु.न. 37 के किला नं. 3 ता 8, 15 की 1.7710 हैक्टर नहरी 1.6960 गैर मुमकिन खाला 0.0750 हैक्टर व मु.न. 38 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 नहरी 0.7340 गैर मुमकिन खाला 0.0250, कुल 2.5300 हैक्टर नहरी 2.4300 हैक्टर, गैर मुमकिन खाला 0.1000 हैक्टर नहरी खातेदारी प्रतिवादी चन्दुराम वल्द नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड है, उक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण भजनलाल, बन्शीलाल व प्रतिवादी चन्दूराम को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्डाधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज०))

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :31/2018

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. फुलीदेवी पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादीगण श्री दलबीर बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममुर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 जोगीवाला के वर्तमान खाता संख्या 17/15 के मु.न. 37 के किला नं. 3 ता 8, 15 की 1.7710 हैक्टर नहरी 1.6960 गैर मुमकिन खाला 0.0750 हैक्टर व मु.न. 38 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 नहरी 0.7340 गैर मुमकिन खाला 0.0250, कुल 2. 5300 हैक्टर नहरी 2.4300 हैक्टर, गैर मुमकिन खाला 0.1000 हैक्टर नहरी खातेदारी प्रतिवादी चन्दुराम वल्द नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड है, उक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण भजनलाल, बन्शीलाल व प्रतिवादी चन्दूराम को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक......20.2.19...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0))

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राज0) R.A.S.
(जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़